उत्तराखण्ड शासन

नियोजन अनुभाग–1

26 जून, 2025 ई0

संख्या–243 / एक(05) / 2024 / XXVI / 2024, (ई–78465)–

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
यू0आई0आई0डी0बी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– "उत्तराखण्ड सेवा–क्षेत्र नीति–2024" मे आंशिक संशोधन करने विषयक्।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक–138 / एक(05) / 2024 / XXVI / 2024, दिनांक 15.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से 'उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति, 2024", प्रख्यापित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के कम विकसित एवं पर्वतीय क्षेत्रो मे प्राथमिकता के आधार पर विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के उदेद्श्य से 'उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति–2024' निम्नवत आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

3– .."उत्तराखण्ड सेवा–क्षेत्र नीति–2024" में प्रस्तावित संशोधन निम्नवत् है:–

भाग–6 Eligibility by focus sector	वर्तमान प्राविधान	संशोधन
आतिथ्य सत्कार	1) पात्र राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी कोड) (क)55101–होटल / मोटल, पर्यटक रिसार्ट, हेरिटेज होटल। (ख)82300–एमआईसीई या सम्मेलन केन्द्र। 2) पात्र परियोजनाएँ	वर्तमान प्राविधान के अंत में निम्नलिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित है:– निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन की पात्रता / अर्हता से पृथक / बाहर होंगी– <u>जनपद देहरादून</u> 1. देहरादून नगर निगम क्षेत्र। 2. ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र।

	(क)मैदानी क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षों में 200 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं। (ख) पर्वतीय क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षों में 100 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं। आतिथ्य इकाइयॉं, जिन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होता है, वे उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 के अधीन पूंजीगत सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होंगी। तथापि, ऐसी परियोजनाएँ उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023 के अधीन लागू अन्य सभी सब्सिडी/प्रोत्साहन द्वारा लाभान्वित हो सकती हैं।	3. मसूरी नगर पालिका क्षेत्र। <u>जनपद टिहरी</u> 1. मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र। 2. तपोवन नगर पंचायत क्षेत्र। <u>जनपद नैनीताल</u> 1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमाओं से 20 कि0मी0 की परिधि अन्तर्गत का क्षेत्र। <u>नोटः</u> 20 कि0मी0 का क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगता हुआ/सटा हुआ गलियारा माना जायेगा। वन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस सीमा को परिभाषित/निर्धारित करेगा।
कक्षा–12 तक के विद्यालय	1) कक्षा–12 तक के विद्यालय क. मैदानी क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षो में 50 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं। ख. पर्वतीय क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षों में 25 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं।	वर्तमान प्राविधान के अंत में निम्नलिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित हैः– निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन की पात्रता/अर्हता से पृथक/बाहर होंगी– <u>जनपद देहरादून</u> 1. देहरादून तहसील 2. मसूरी नगर पालिका क्षेत्र। <u>जनपद नैनीताल</u> 1. नैनीताल तहसील
महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय क. मैदानी क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षो में 100 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं। ख. पर्वतीय क्षेत्र–ईसीए में 5 वर्षों में 50 करोड़ रूपये से अधिक निवेश वाली परियोजनाएं।	वर्तमान प्राविधान के अंत में निम्न लिखित प्राविधान परन्तुक के रूप में जोडा जाना प्रस्तावित हैः– निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनायें इस नीति के अन्तर्गत सब्सिडी हेतु आवेदन की पात्रता/अर्हता से पृथक/बाहर होंगी–

		ध्यान दे कि केवल प्रथम वर्ष में न्यूनतम 500 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाली परियोजनाएँ ही इस नीति के अधीन प्रोत्साहन की पात्र होंगी।	1.देहरादून नगर निगम क्षेत्र अग्रेत्तर मात्र निम्नलिखित मानदण्डों (आवेदन करने की तिथि) को पूर्ण करने वाली प्रस्तावित परियोजनायें ही इस नीति के तहत सब्सिडी हेतु आवेदन करने की पात्र होंगी:– विश्वविद्यालय मानदण्ड मौजूदा विश्वविद्यालय निम्नलिखित मानदण्डो को पूरा करने के आधार पर पात्र है:– (a) ऐसे मौजुदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिग फ्रेमवर्क (NIRF), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 40 रैंक के अन्तर्गत हो। अथवा (b) ऐसे मौजूदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से QS वर्ल्ड विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 1000 रैंक के अन्तर्गत हो। अथवा (c) ऐसे मौजूदा विश्वविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा निर्गत वर्ल्ड विश्वविद्यालय के रैंकिग के शीर्ष 800 रैंक के अन्तर्गत हो। 2.ऐसी शैक्षणिक संस्थायें जो विश्वविद्यालय या कॉलेज के रूप में क्रियाशील न हो, निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने के आधार पर पात्र है: a. विगत 03 वर्षों में लगातार न्यूनतम 1,50,000 पूर्णकालिक ऑफलाईन/ व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में वार्षिक नामांकन। संचालित पाठ्यक्रमों मे मात्र वह पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा, जिनकी न्यूनतम अवधि 10 माह है। न्यूनतम अवधि पूर्ण होने से पहले पढ़ाई छोडने वाले छात्रों की संख्या को वार्षिक नामांकन का भाग नही माना जायेगा। नोटः किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान तथा किसी विदेशी विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी वाले परियोजना प्रस्ताव के लिये पात्रता में उच्च साख वाले संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

		<u>महाविद्यालय मानदण्ड</u> ऐसे मौजूदा महाविद्यालय जो निरन्तर 03 वर्षों से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिग फेमवर्क (NIRF), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत रैंकिग के शीर्ष 90 रैंक के अन्तर्गत हो। <u>नोटः</u> प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय किसी विशेष जनपद में मात्र एक परियोजना पर सब्सिडी के लिये आवेदन का पात्र होगा। उदाहरणार्थ– यदि कोई शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय राज्य के तीन अलग–अलग जनपदों में एक–एक परियोजना प्रस्तुत करता है, तो सभी तीन परियोजनायें पात्र होगी, इसके विपरित यदि एक ही जनपद के लिये तीन परियोजनायें प्रस्तुत की जाती है, तो इस नीति के अन्तर्गत केवल एक परियोजना ही सब्सिडी हेतु आवेदन के लिये पात्र होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

प्रमुख सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 04–10–2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 नियोजन/456–15–10–2025–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)